प्रेस नोट
दिनाँक 03.12.2025
जनपद-संतकबीरनगर

थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा पुलिस मुठभेड़ के दौरान 01 अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

चोरी की 05 घटनाओं का खुलासा करते हुए 01 अदद अवैध देशी तमंचा .315 बोर व 01 अदद खोखा कारतूस .315 बोर व नगद करीब 60,000 रुपये बरामद

पुलिस अधीक्षक जनपद संतकबीरनगर *श्री संदीप कुमार मीना* के निर्देशन अपर पुलिस अधीक्षक *श्री सुशील कुमार सिंह* के मार्गदर्शन व क्षेत्राधिकारी खलीलाबाद *श्री अजय सिंह* के निकट पर्यवेक्षण में जनपद संतकबीरनगर में अपराध एवं अपराधियो के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में प्रभारी निरीक्षक थाना कोतवाली खलीलाबाद *श्री पंकज कुमार पाण्डेय* के नेतृत्व में गठित टीम द्वारा दिनांक 02/03.12.2025 की रात्रि को चोरी की 05 घटनाओं मे संलिप्त अभियुक्त नाम पता अविनाश चौरसिया पुत्र विजय चौरसिया निवासी बरईटोला थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर को अजगईवा घाट पुल पास से पुलिस मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना कोतवाली खलीलाबाद पर 3/25/27 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया व धारा 207 एमवी एक्ट के तहत मोटरसाइकिल अपाची सीज किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-
अविनाश चौरसिया पुत्र विजय चौरसिया निवासी बरईटोला थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर।

बरामदगी का विवरणः-
01. एक अदद अवैध देशी तमंचा .315 बोर।
02. एक अदद खोखा कारतूस .315 बोर।
03. चोरी के दो अदद डीवीआर।
04. एक पीओई स्वीच।
05. नगद करीब 60,000 रुपये।
06. घटना में प्रयुक्त एक अदद पिलास, एक अदद पेचकश, एक अदद हथौड़ी, एक अदद सलाई रिंच, एक अदद मोटरसाइकिल अपाची व 01 अदद मोबाइल।
पूछताछ विवरणः-
गिरफ्तार किये गये अभियुक्त से पूछताछ की गयी तो बताया कि अपना शौक पूरा करने के लिए चोरी करता हु, जो सामान मेरे पास से बरामद हुआ है वह पिछली पांच चोरी से प्राप्त हुआ है जो इस प्रकार है- लगभग ढेड़ महीना पहले पटखौली गांव के रात मे एक घर के आलमारी से जेवर व रुपये चोरी किया था जिसमे से जेवर को राह चलते हुए व्यक्ति को बेच दिया था, गोला बाजार मे छाबड़ा की जूते चप्पल की दुकान मे घूसकर गल्ले से चोरी किया था जिसमे मुझे 3300 रुपये मिले थे और जाते समय मै दुकान कैमरे के डीवीआर को लेकर चला गया था, लगभग एक सप्ताह बाद मीरगंज के एक घर के खिड़की तोड़कर चोरी किया था जिसमें कुछ जेवर मिले थे जिसको भी मै राह चलते व्यक्तियो को बेच दिया था, बाबा ट्रेडिंग कम्पनी इंडस्ट्रियल एरिया की दुकान के गल्ले से चोरी किया था जिसमे मुझे कुल 5230 रुपये मिले थे और जाते समय मै दुकान कैमरे के डीवीआर को अपने साथ लेकर चला गया था, 30.11.2025 की रात को मैने पुनः गोला बाजार स्थित रुगटा की थोक गल्ले की दुकान के काउन्टर से 32500 रुपये चोरी किया था तथा जाते समय कैमरे की मशीन को उठा ले गया था।

गिरफ्तार करने वाले अधिकारी / कर्मचारीगणः-
1. प्रभारी निरीक्षक थाना कोतवाली खलीलाबाद ***श्री पंकज कुमार पाण्डेय***, चौकी प्रभारी बरदहिया उ0नि0 श्री अनिल कुमार यादव, चौकी प्रभारी कांटे उ0नि0 श्री रामवशिष्ठ, चौकी प्रभारी नवीनमंडी उ0नि0 श्री अश्वनी तिवारी, हे0का0 आकाश कुमार, हे0का0 सुशील कुमार, हे0का0 देवेन्द्र यादव, का0 जयकिशन गोड़, का0 विनोद कुमार, का0 सत्येन्द्र यादव, का0 राजन यादव, का0 श्यामनारायण यादव, का0 कृष्णानन्द शाह, का0 रघुवंश प्रसाद, का0 रंजन राजभर, का0 धर्मेन्द्र कुमार यादव।

आपराधिक इतिहास

अविनाश चौरसिया पुत्र विजय चौरसिया निवासी बरईटोला थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर।
01. मु0अ0सं0 141/2021 धारा 4/25 आयुध अधिनियम तथा धारा 147,148,149,302,307 भादवि0 थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर।
02. मु0अ0सं0 411/2021 धारा 3(1) उ0प्र0 गिरोह बंद एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 1986 थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर।
03. मु0अ0सं0 951/2025 धारा 305(a),331(4) बीएनएस थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर।
04. मु0अ0सं0 1033/2025 धारा 305(a),331(4) बीएनएस थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर।
05. मु0अ0सं0 1056/2025 धारा 305(a),331(4) बीएनएस थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर।
06. मु0अ0सं0 1090/2025 धारा 305(a),331(4) बीएनएस थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर।
07. मु0अ0सं0 1115/2025 धारा 305(a),331(4) बीएनएस थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर।
08. मु0अ0सं0 1122/2025 धारा 109(1) बीएनएस व 3/25/27 आर्म्स एक्ट थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर।

आज दिनांक 02/03.12.2025 रात्रि को थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस टीम द्वारा जनपद में घटित चोरी की विभिन्न घटनाओं में संलिप्त 01 अभियुक्त को पुलिस मुठभेड़ में चोरी के करीब 60,000 रू0, 03 अदद डीवीआर, 01 अदद रिंच, 01 पेचकस, घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल व अवैध शस्त्र सहित गिरफ्तार करने के सम्बन्ध में पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर द्वारा दी गयी बाइट

नोट- पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री संदीप कुमार मीना*** द्वारा गिरफ्तारी व बरामदगी करने वाली पुलिस टीम के उत्साहवर्धन हेतु 25,000 रु0 पुरस्कार देने की घोषणा की गयी।*

शान्ति भंग (170/126/135 बीएनएसएस) में 05 अभियुक्त गिरफ्तार

थाना महुली पुलिस द्वारा 170/126/135 बीएनएसएस में 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।
थाना बखिरा पुलिस द्वारा 170/126/135 बीएनएसएस में 03 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।
थाना मेंहदावल पुलिस द्वारा 170/126/135 बीएनएसएस में 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

पीआरवी आफ द डे

पीआरवी 6000 द्वारा दुर्घटना में घायल 02 व्यक्तियों को भेजवाया गया अस्पताल– पीआरवी 6000 को थाना धनघटा क्षेत्रांतर्गत डुहिया कला से कालर ने बाइक से जाते समय नीलगाय सामने से टक्कर हो जाने के कारण दुर्घटना में घायल 02 व्यक्तियों (सुरेन्द्र प्रसाद पुत्र रामरुप निवासी नाथनगर पुरानी बाजार थाना महुली जनपद संतकबीरनगर 02.गंगा प्रसाद पुत्र स्व0 गणेश निवासी रूधौली जनपद बस्ती) के सम्बन्ध में सूचना दिया, सूचना मिलते ही पीआरवी कर्मियो द्वारा त्वरित गति से घटनास्थल पर पहुँचकर दुर्घटना में घायल व्यक्तियों को 108 एम्बुलेंस की सहायता से ईलाज हेतु सी0एच0सी मलौली भेजवाया गया। घटना के सम्बन्ध में थाना धनघटा को अवगत कराया गया। पीआरवी कर्मियों की सतर्कता व सूझबूझ से घटनास्थल पर तत्परता से पहुँचकर घायलों को 108 एम्बुलेंस की सहायता से ईलाज हेतु सी0एच0सी0 मलौली भेजवाया गया। जिसकी स्थानीय व्यक्तियों द्वारा सराहना की गयी।
पीआरवी स्टाफ- मु0आ0 गोरखनाथ यादव, आ0 सन्तोष यादव, हो०चा0 रामवीर चौधरी।

मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 180 वाहनों से 1,99,500 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया

आज दिनाँक 03.12.2025 को जनपद संतकबीरनगर के सभी थाना क्षेत्रों में बैंक / वाहन / संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग के दौरान समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्ष / प्रभारी यातायात द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत कड़ी कार्यवाही करते हुए 180 वाहनों से 1,99,500 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया।

“ऑपरेशन कनविक्शन” अभियान के तहत संतकबीरनगर पुलिस की सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मारपीट के संबंध में 03 अभियुक्तगण को न्यायालय उठने तक का कारावास व कुल 3600 रु0 के अर्थदण्ड से किया गया दण्डित

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर *श्री संदीप कुमार मीना* के निर्देशन में **“ऑपरेशन कनविक्शन”** अभियान के तहत संतकबीरनगर पुलिस के द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना तथा अभियोजन द्वारा प्रभावी पैरवी के क्रम में दिनाँक 01.12.2025 को ***मा0 न्या0 सीजे(एसडी) /एसीजेएम संतकबीरनगर*** के द्वारा प्रत्येक अभियुक्त को न्यायालय उठने तक कि अभिरक्षा तथा 1200-1200 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

विवरणः-

मु0अ0सं0 66/2001 धारा 323/504 भादवि थाना बखिरा जनपद संतकबीरनगर से सम्बन्धित 03 अभियुक्तगण नाम पता 1- इब्राहिम पुत्र लुट्टून 2- इस्फाक पुत्र भुट्टन 3- सिराजुल पुत्र ईदु निवासीगण महला थाना बखिरा जनपद संतकबीरनगर को दोषसिद्ध अभियुक्तगण को धारा-323/504 भादवि में प्रत्येक को न्यायालय उठने तक की सजा व 1200-1200 रुपये का जुर्माना, जुर्माना अदा न करने पर 15 दिन का साधारण कारावास भुगतना होगा।

“ऑपरेशन कनविक्शन” अभियान के तहत संतकबीरनगर पुलिस की सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप गोवध निवारण अधिनियम के तहत अभियुक्त को न्यायालय उठने तक की अभिरक्षा व 1050 रु0 के अर्थदण्ड से किया गया दण्डित

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर *श्री संदीप कुमार मीना* के निर्देशन में “ऑपरेशन कनविक्शन” अभियान के तहत संतकबीरनगर पुलिस के द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना तथा अभियोजन द्वारा प्रभावी पैरवी के क्रम में दिनाँक 01.12.2025 को ***मा0 न्या0 सीजे(एसडी) /एसीजेएम संतकबीरनगर*** के द्वारा अभियुक्त को न्यायालय उठने तक की अभिरक्षा व 1050 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।

विवरणः-

मु0अ0सं0 356/2001 धारा 3/8 सीएस एक्ट व 11 पशु क्रुरता निवारण अधिनियम थाना बखिरा जनपद संतकबीरनगर से सम्बन्धित अभियुक्त नाम पता झन्ने पुत्र लतीफ निवासी बंजरिया थाना बखिरा जनपद संतकबीरनगर को दोषसिद्ध अभियुक्त को जुर्म स्वीकार के आधार पर धारा 3/8 सीएस एक्ट व 11 पशु क्रूरता निवारण अधिनियम में न्यायालय उठने तक की अभिरक्षा व 1050 रुपये का जुर्माना, जुर्माना अदा न करने पर 30 दिन का साधारण कारावास भुगतना होगा।

"ऑपरेशन कनविक्शन" अभियान के तहत संतकबीरनगर पुलिस की सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप मारपीट के संबंध में अभियुक्त न्यायालय उठने तक सजा व 5000 रु0 के अर्थदण्ड से किया गया दण्डित

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर *श्री संदीप कुमार मीना* के निर्देशन में **"ऑपरेशन कनविक्शन"** अभियान के तहत संतकबीरनगर पुलिस के द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना तथा अभियोजन द्वारा प्रभावी पैरवी के क्रम में दिनाँक 02.12.2025 को ***मा0 न्या0 सीजे(एसडी) /एसीजेएम संतकबीरनगर*** के द्वारा अभियुक्त को न्यायालय उठने तक सजा तथा 5000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

विवरणः-

मु0अ0सं0 537/2008 धारा 323/504/506/427/147 भादवि थाना बखिरा जनपद संतकबीरनगर से सम्बन्धित अभियुक्त नाम पता शंकर पुत्र सुक्खु निवासी बंजरिया थाना बखिरा जनपद संतकबीरनगर को जुर्म स्वीकार के आधार पर दोषसिद्ध अभियुक्त को धारा-147/323/504/506 भादवि में न्यायालय उठने तक की सजा व 5000 रुपये का जुर्माना, जुर्माना अदा न करने पर 02 माह का साधारण कारावास भुगतना होगा।

"ऑपरेशन कनविक्शन" अभियान के तहत संतकबीरनगर पुलिस की सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप धमकी देने के संबंध में अभियुक्त को न्यायालय उठने तक सजा व कुल 10,000 रु0 के अर्थदण्ड से किया गया दण्डित

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर *श्री संदीप कुमार मीना* के निर्देशन में **"ऑपरेशन कनविक्शन"** अभियान के तहत संतकबीरनगर पुलिस के द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना तथा अभियोजन द्वारा प्रभावी पैरवी के क्रम में दिनाँक 02.12.2025 को ***मा0 न्या0 सीजे(एसडी) /एसीजेएम संतकबीरनगर*** के द्वारा अभियुक्त को न्यायालय उठने तक सजा तथा 2500-2500 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

विवरणः-

मु0अ0सं0 918/2008 धारा 504/506 भादवि थाना बखिरा जनपद संतकबीरनगर से सम्बन्धित अभियुक्त नाम पता 1-सीताराम पुत्र स्व0 हरिहर सिंह 2- हनुमान सिंह पुत्र नन्द गोपाल सिंह 3- मोनू पुत्र नन्दगोपाल 4- नन्दगोपाल सिंह पुत्र रामतेज उर्फ उदयभान निवासी हटवा थाना बखिरा जनपद संतकबीरनगर को दोषसिद्ध प्रत्येक अभियुक्तगण को धारा-504/506 भादवि में न्यायालय उठने तक की सजा व 2500-2500 रुपये का जुर्माना, जुर्माना अदा न करने पर 03 दिवस का साधारण कारावास भुगतना होगा।